न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 54/2019

1 मुंशी पुत्र सफी जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासी मौहल्ला बंदुकियान वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

1/1 खातून पत्नी मुंशी।

1/2 जाकीर पुत्र मुंशी।

1/3 रूखसाना पुत्री मुंशी।

1/4 साकीर पुत्र मुंशी।

1/5 आसिफ पुत्र मुंशी समस्त जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासीगण टमकोर रोड़ मस्जिद के पास मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

2 शौकत पुत्र इमामुदीन जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासी वार्ड नम्बर 14 मिल्लत नगर बाकरा रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

3 रफीक मोहम्मद पुत्र यासीन जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासी वार्ड नम्बर 16 शहीदान चौक के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मरियम पत्नी इस्माईल।

2 मोहम्मद इस्हाक पुत्र इस्माईल।

3 मो. याकूब पुत्र इस्माईल।

4 मो. इब्राहिम पुत्र इस्माईल।

5 मो. हनीफ पुत्र इस्माईल।

6 बानो पत्नी बुन्दु पुत्री इस्माईल।

7 जमीला पत्नी नूरा पुत्री इस्माईल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं

8 जरीना पत्नी सफी पुत्री इस्माईल समस्त जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासीगण वार्ड नम्बर 14 मितमल नगर बाकरा मोड़ के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

9 आमीन पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासी मोहल्ला बंदूकियान वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

10 मटरू पुत्र उमरदीन।

10/1 जैतून पत्नी मटरू।

10/2 जाकीर पुत्र मटरू।

10/3 असरफ पुत्र मटरू।

10/4 अख्तर पुत्र मटरू।

10/5 इस्माल पुत्र मटरू।

10/6 नदीम पुत्र मटरू।

10/7 आसिफ पुत्र मटरू।

10/8 समीम पुत्री मटरू।

10/9 नजमा पुत्री मटरू समस्त जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासीगण बाकरा रेल्वे फाटक के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

11 मुन्ना पुत्र निजामुदीन।

12 अयुब पुत्र निजामुदीन समस्त जाति मुसलमान निवासीगण बाकरा रेल्वे फाटक के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

13 बाबू अली पुत्र सफी।

14 सलीम पुत्र सफी।

15 रफीक पुत्र सफी।

16 मो. शरीफ पुत्र अहमद।

17 मो. शाबिर पुत्र अहमद।

18 इमरान पुत्र अहमद।

19 सदाम पुत्र अहमद समस्त जाति मुसलमान सब्जी फरोश निवासीगण मोहल्ला बंदूकियान वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

20 सरवर फौत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

20/1 इस्लाम पुत्र सरवर।
20/2 सलीम पुत्र सरवर।
20/3 असमल पुत्र सरवर।
21 मो. हुसैन पुत्र इमामुदीन।
22 मकबूल पुत्र इमामुदीन समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 14 मितल नगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
23 सतार पुत्र यासीन।
24 अलीशेर पुत्र यासीन।
25 नवाब पुत्र यासीन।
26 सादिक पुत्र यासीन समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 26 शहीदान चौक के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
27 तहसीलदार झुंझुनू।
28 सब रजिस्ट्रार झुंझुनू जिला झुंझुनू।
29 नगर परिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 28.02.2019
दावा संख्या 24/2010 पीठासीन अधिकारी अलका
बिश्नोई सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक झुंझुनू शीर्षक
मुंशी वगैरह बनाम मरियम आदि दावा बाबत घोषणार्थ
रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—28-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स की ओर से भूमि खसरा नम्बर 2293,2297,3987 बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय तनकीवार विवेचन कर पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। विधि अनुसार घोषणा के वाद हेतु कोई मियाद निर्धारित नही है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अन्दर मियाद नही मानकर विधिक भूल की है। विवादित भूमि इदुखां के नाम दर्ज थी। इदु खां के चार पुत्र होना एवं विवादित भूमि इदुखां की होना प्रतिवादी ने जवाब दावे में स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में दिनांक 04.05.1965 की वसीयत का उल्लेख किया है। किन्तु इदुखां के पुत्र इस्माईल के नाम दिनांक 23.07.1971 को भरा गया नामान्तकरण विरासत के आधार पर दर्ज किया जाना अंकित है स्पष्ट है कि नामान्तकरण वसीयत के आधार पर नही होकर विरासत के आधार पर दर्ज किया गया था। विरासतन इदुखां के चारो पुत्रों के नाम विरासत दर्ज होनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट ने पी.डब्ल्यू 01 व पी.डब्ल्यू 02 को मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत किया साथ में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सत्यप्रतिलिपि मिसल हकीयत, जमाबंदी संवत 2012 से 2015,2024 से 2027,2028 से 2035, 2065, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 968 दिनांक 23.07. 1971, मृत्यु प्रमाण पत्र यासिन, उमरदीन,इमामुदीन प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकन कर दावा खारिज किया गया है कि प्रस्तुत वाद अन्दर मियाद नही होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय गुणावगुण पर विवेचन कर पारित किया गया निर्णय नही होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.जे. (सी.आई.वी) 2022 (1) पेज 462, ए.आई. आर. 2011 पेज 72, डब्ल्यू.एल.एन. 2014 (3) पेज 269, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 524, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1141 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि इदुखां की 44 बीघा भूमि थी दावा केवल 14 बीघा के लिये किया गया है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में वसीयत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। इसका कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया गया है। 1971 के नामान्तकरण के विरूद्व वर्ष 2010 में 40 साल बाद दावा किया गया है। इदुखां के अन्य वारिसान द्वारा कोई दावा नही किया गया है। वादी स्वच्छ हाथो से नही आये है। इस 14 बीघा के अलावा शेष भूमि अपीलांट द्वारा विक्रय की जा चुकी है। अपीलांट ने इन कथनों को छुपाकर दावा किया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट के जवाब के उपरान्त भी वादी अपीलांट द्वारा रिजॉईन्डर प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट ने मुंशी खां का असल इकरारनामा दस्तावेजी की सूची के साथ प्रस्तुत किया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

2010 पेज 189, डी.एन.जे. 2020 पेज 115, आर.एल.डब्ल्यू 2017(2) पेज 736 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब में कथन किया है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 19.12.2011 का है। विचारण न्यायालय में दिनांक 18.06.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजात फर्द के साथ प्रस्तुत किये गये थे उस समय इस दस्तावेज को प्रस्तुत क्यों नही किया गया। किसी भी दस्तावेज को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित एवं सत्यापित/ जिरह प्रदर्शित करवाये बिना साक्ष्य में नही लिया जा सकता है। यह विधिक प्रावधान है। अपील न्यायालय में भी रेस्पोडेंट द्वारा इस दस्तावेज को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के विधिक प्रावधान की पालना में प्रस्तुत नही किया गया है। अत यह दस्तावेज इस स्तर पर स्वीकार योग्य नही है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय तनकीवार विवेचन कर पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2022(1) सी.जे. (सीविल)(राज) पेज 462 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **Code of civil procedure 1908 order 20, rule 5- Trial court passed the impugned judgment without giving issue wise findings and considering and appreciating the material evidence on record judgment is cryptic and liable to be set aside- matter remanded back to trial court for deciding in accordance with the law.** ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक घोषणा के वाद का मियाद बाहर होने का प्रश्न है विधि अनुसार घोषणा के वाद हेतु कोई मियाद निर्धारित नही है। इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 524 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " **No limitation provided for filing suit for declaration.** इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अन्दर मियाद नही मानकर विधिक भूल की है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि इदुखां के नाम दर्ज थी। इदु खां के चार पुत्र होना एवं विवादित भूमि इदुखां की होना प्रतिवादी ने जवाब दावे में स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में दिनांक 04.05.1965 की वसीयत का उल्लेख किया है। किन्तु इदुखां के पुत्र इस्माईल के नाम दिनांक 23.07.1971 को भरा गया नामान्तकरण विरासत के आधार पर दर्ज किया जाना अंकित है स्पष्ट है कि नामान्तकरण वसीयत के आधार पर नही होकर विरासत के आधार पर दर्ज किया गया था। विरासतन इदुखां के चारो पुत्रों के नाम विरासत दर्ज होनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट ने पी.डब्ल्यू 01 व पी.डब्ल्यू 02 को मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत किया साथ में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सत्यप्रतिलिपि मिसल हकीयत, जमाबंदी संवत 2012 से 2015,2024 से 2027,2028 से 2035, 2065, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 968 दिनांक 23.07.1971, मृत्यु प्रमाण पत्र यासिन, उमरदीन,इमामुदीन प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकन कर दावा खारिज किया गया है कि प्रस्तुत वाद अन्दर मियाद नही होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वरवक्त बहस रेस्पोंडेंट ने फर्द के साथ मृतक अपीलांट मुंशी का इकरारनामा असल दिनांक 19.12.2011 प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट द्वारा यह इकरारनामा विधिक प्रकिया अनुसार आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस स्तर पर रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 19.12.2011 को निस्पादित किया हुआ है। निस्पादनकर्ता मुंशी दिनांक 27.06. 2022 को फौत हो चुका है। रेस्पोंडेंट द्वारा इस इकरारनामे को निस्पादनकर्ता मुंशी के जीवनकाल में विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। वर वक्त बहस रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रेस्पोडेंट को लौटाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पोडेंट इस दस्तावेज को विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने, परिक्षित, सत्यापित, प्रदर्शित करवाने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट रिबटल में साक्ष्य हेतु स्वंतत्र है। इस दस्तावेज की विधिक वैद्यता का परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10. 2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-9-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर